

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(7)व्याय/2018

जयपुर, दिनांक

26 JUN 2018

-:अधिसूचना:-

मोटर यान अधिकरण, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च व्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला व्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त व्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र. सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ़	किशनगढ़	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
2	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, केकड़ी	केकड़ी	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
3	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ़बास	किशनगढ़बास	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
4	अपर जिला व्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुण्डावर	मुण्डावर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
5	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, तिजारा	तिजारा	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
6	अपर जिला व्यायालय, संख्या 1 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर	बाड़मेर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
7	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर	बाड़मेर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
8	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डीग	डीग	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
9	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बयाना	बयाना	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
10	अपर जिला व्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण

11	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजगढ़	राजगढ़ जिला चुल	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
12	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांदीकुई	बांदीकुई	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
13	अपर जिला न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, घड़साना	घड़साना	स्थानीय क्षेत्राधिकार
14	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नोहर	नोहर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
15	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटपूतली	कोटपूतली	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
16	अपर जिला न्यायालय, संख्या 3 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटपूतली	कोटपूतली	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
17	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सांभरलेक	सांभरलेक	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
18	अपर जिला न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दूदू	दूदू	स्थानीय क्षेत्राधिकार
19	अपर जिला न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पोकरण	पोकरण	स्थानीय क्षेत्राधिकार
20	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हिण्डौनसिटी	हिण्डौनसिटी	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
21	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नागौर	नागौर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
22	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परबतसर	परबतसर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
23	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आबूरोड़	आबूरोड़	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव

Mandeep Singh
26/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संबंधित जिला कलेक्टर/जिला एवं सेंशन व्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
9. संबंधित व्यायाधीश, अपर जिला व्यायालय।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

Y/81
26.6.18
संयुक्त शासन सचिव